प्र० रा०-82/2021

आदेश	कार्यवाही विवरण सावंत सिंह v/s तहसीलदार [136 L.R.A]	अनुपलाना में क्रमांक व दिनांक
14.09.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी उप0। तहसीलदार उदयपुरवाटी से तथ्यात्मक जांच रिपोंट प्राप्त। बहस प्रा0 प0 मूल पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में शुद्धि/दुरूस्ती करवाने का निवेदन किया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात यथा पेन कार्ड, आधार कार्ड, एक्स सर्विसमेन पहचान पत्र मतदाता परिचय पत्र, ग्राम पंचायत ककराना, जमाबंदी खाता संख्या नया 432 ग्राम ककराना, शपथ पत्र सांवत सिंह तथ्यात्मक जांच रिपोंट दिनांक 14.09.2021 का अवलोकन करने पर पाते है कि प्रार्थी का सही नाम सांवत सिंह पुत्र सवाई सिंह है सांवल सिंह एवं सांवत सिंह दो अलग अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति के नाम है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है। **आदेश** **प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम ककराना पटवार हल्का ककराना तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 831 रकबा 1.5000 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम सांवल सिंह पुत्र सवाई सिंह के बजाय सांवत सिंह पुत्र सवाई सिंह दुरूस्त/शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।** **(राम सिंह राजावत)** **उपखण्ड अधिकारी,** **उदयपुरवाटी** **निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।** Signature Not Verified Digitally signed by Ram Singh Rajawat Date: 2022.06.23 12:45:53 IST Reason: SelfAttested **(राम सिंह राजावत)** **उपखण्ड अधिकारी** **उदयपुरवाटी**	

Scanned with CamScanner